संख्या-114/2015/1000/71-1-2015-जी-328/2013

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 22 मई, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल बेस्ट डिस्पोजल हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल बेस्ट डिस्पोजल हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष् प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त मद की धनराशि मेडिकल कालेजों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए औचित्य स्थापित होने पर ही आवंटित/स्वीकृत की जाएगी। साथ ही उक्त मद की धनराशि उन्हीं मेडिकल कालेजों को आवंटित/स्वीकृत की जाएगी, जिनके द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-03-शिक्षा-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल बेस्ट डिस्पोजल-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-114/2015/1000(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, झाँसी, आगरा तथा इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर।

4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, झाँसी, आगरा तथा इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, झाँसी, आगरा तथा इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

7- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।